



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233038
CG-DL-E-01022022-233038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943

No. 82]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2022

सं. 08 /2022 – सीमाशुल्क

सा.का.नि. 82(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 104/2010- सीमाशुल्क, तारीख 1 अक्टूबर, 2010 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 805(अ) तारीख 1 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रकाशित है।	उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, “सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्घाटनीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के अधीन उद्घाटनीय सम्पूर्ण कृषि अवसंरचना और विकास उपकर से” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2.	अधिसूचना सं. 38/96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 290(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित है।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ 3 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- “सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्बहणीय सीमाशुल्क, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के अधीन उद्बहणीय कृषि अवसंरचना और विकास उपकर, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 के अधीन उद्बहणीय स्वास्थ्य उपकर, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 111 के अधीन उद्बहणीय सड़क और अवसंरचना उपकर तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 की क्रमशः उपधारा (7) और उपधारा (9) के अधीन उसपर उद्बहणीय एकीकृत कर और माल और सेवाकर प्रतिकर उपकर”।
3.	अधिसूचना सं. 40/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 775(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित है।	उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, “उसपर उद्बहणीय सीमाशुल्क जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है” शब्दों के पश्चात्, “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के अधीन उद्बहणीय सम्पूर्ण कृषि अवसंरचना और विकास उपकर, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 के अधीन उद्बहणीय सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपकर, और वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 111 के अधीन उद्बहणीय सम्पूर्ण सड़क और अवसंरचना उपकर” शब्द, अंक और कोष्टक अंतःस्थापित किए जाएंगे।
4.	अधिसूचना सं. 60/2011- सीमाशुल्क, तारीख 14 जुलाई, 2011 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 536(अ) तारीख 14 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित है।	उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, “सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्बहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से” शब्दों, अंकों और कोष्टकों के स्थान पर “और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के अधीन उद्बहणीय सम्पूर्ण कृषि अवसंरचना और विकास उपकर से” शब्द, अंक और कोष्टक अंतःस्थापित किए जाएंगे।
5.	अधिसूचना सं. 148/94- सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 577(अ) तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित है।	उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, “उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्बहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से” शब्दों के पश्चात् “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के अधीन उद्बहणीय सम्पूर्ण कृषि अवसंरचना और विकास उपकर, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 111 के अधीन उद्बहणीय सम्पूर्ण सड़क और अवसंरचना उपकर” शब्द, अंक और कोष्टक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 334/01/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 08/2022-Customs

G.S.R. 82(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby further amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department

of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

S. No.	Notification number and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 104/2010-Customs, dated the 1 st October, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 805(E), dated the 1 st October, 2010.	In the said notification, in the preamble, after the words, figures and brackets “from the whole of the duty of Customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)”, the words, figures and brackets “and from the whole of Agriculture Infrastructure and Development Cess, leviable under section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)” shall be inserted.
2.	Notification No.38/96-Customs, dated the 23 rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 290(E), dated the 23 rd July, 1996.	In the said notification, in the TABLE, against S.No. 1, for the entry in column 3, the following shall be substituted, namely: - “Duty of Customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), Agriculture Infrastructure and Development Cess, leviable under section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), Health Cess, leviable under section 141 of the Finance Act, 2020 (12 of 2020), Road and Infrastructure Cess, leviable under section 111 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018) and integrated tax and goods and services tax compensation cess leviable thereon respectively under sub-sections (7) and (9) of section 3 of the said Act.”
3.	Notification 40/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 775(E), dated the 30 th June, 2017.	In the said notification, in the preamble, after the words, “from the whole of the duty of Customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule”, the words, figures and brackets “, the whole of Agriculture Infrastructure and Development Cess, leviable under section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the whole of Health Cess, leviable under section 141 of the Finance Act, 2020 (12 of 2020) and the whole of Road and Infrastructure Cess, leviable under section 111 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018)” shall be inserted.
4.	Notification 60/2011-Customs, dated the 14 th July, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 536(E), dated the 14 th July, 2011	In the said notification, in the preamble, after the words, figures and brackets “from the whole of the duty of Customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)”, the words, figures and brackets “and from the whole of Agriculture Infrastructure and Development Cess, leviable under section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)” shall be inserted.
5.	Notification 148/94-CUSTOMS, dated the 13 th July, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 577(E), dated the 13 th July, 1994.	In the said notification, in the preamble, after the words “from the whole of the duty of Customs leviable thereon under the said First Schedule”, the words, figures and brackets “, the whole of Agriculture Infrastructure and Development Cess, leviable under section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the whole of Health Cess, leviable under section 141 of the Finance Act, 2020 (12 of 2020), the whole of Road and Infrastructure Cess, leviable under section 111 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018)” shall be inserted.

2. This notification shall come into force on 2nd day of February, 2022.

[F.No. 334/01/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.